

SPO Court Raipur  
18/2018

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मग इनिशियल्य जज

चन्डा V राधाराम

28/9/2021

कुलाय उपारथत।  
भाज श्रीमान् पीटारीन अधिकारी महोदय,  
अन्य राजकीय कार्य में व्यरत है/भ्रमण पर  
है/अवकाश पर है। अ.न. पेशी इत्तया होकर  
पत्रायली दिनांक. 26/11/2021..को पेश हो।

चन्डा  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
उपखण्ड मजिरटेंट, रायपुर

पत्रायली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान  
2021 के सहित सिविल प्रान प्रशासन में पेश हुई। जिसमें वाडी/प्रान्तिवादी/अप्रान्तिवादी/अप्रान्तिवादी होने से प्रकरण में प्रशासन की भावना से कार्यवाही पेशी इत्तया होकर पत्रायली दिनांक 16-12-2022 को पेश हो।

सहायक कमिश्नर एवं उपखण्ड  
अधिकारी रायपुर (पाली)

26/11/21

16/12/22

पाली पेश हुई,  
वाडी अधिवक्ता उरुसिवा  
P/F समन पेश करने हेतु केंद्र  
कमिश्नर सिविल जज पत्रायली  
दिनांक 28/04/22 को पेश हो

SPO

28/04/22

पाली पेश हुई,  
कुलाय उपनिष्ठा  
P/F समन पेश करने हेतु वाडी अधिवक्ता  
के दिनांक 29/03/2019 के कमिश्नर दिजे  
जा चुके हैं। फिर भी समन पेश नहीं  
किए हैं। ऐसी स्थिति में वाडी का  
वाड कादेश 05 निलम 05 फर के  
तहत खारिज किया जाता है पत्रायली  
कुलाय उपनिष्ठा होकर दाखिल/दफ्तर  
हो

S. P. O.